नई दिल्ली, दिनान , नवम्बर । १८४७

## वायालिय जापन

निवाय !- जात्थं केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशो' को ध्यान में रखते हुए। समूह' "ख", "ग" और "व" सवगों की सवगीय प्नरीक्षा के मार्ग-दशीं सिद्धान्त ।

आविधिस संवर्गीय पुनरीक्षा विस्ती संगठन के कार्मिक पृबन्ध का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। संवर्ग के सुगम कार्यकरण तथा इसके सदस्यों का मनोबल बनाए रखने में न्यह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संवर्ग पुनरोक्षा में मुख्यत: जनशक्ति नियोजन और वैज्ञानिक ढंग से भर्ती नियोजन पर बल दिया जाना चाहिए और उसके साथ-साथ यह उद्देश्य होना चाहिए कि संवर्ग की कार्यकुणलता, मनोबल और प्रभानकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से मौजूदा संवर्ग संख्वा को युवित संगत बनाया जा सके। इस मंत्रालय ने समूह "ग" और "।" के कर्मचारियों की संवर्गीय पुनरीक्षा करने के लिए, समय समय पर हाशिए में दशाए गए अनुदेश जारी किए थे।

20 वत्थं केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी संवर्गीय गुनरीक्षा तथा समूह
"व", "ग" और "व" के कर्भवारियों की पदोन्नित नीति से सम्बद्ध मामलों
के पुरन पर विवार किया था । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट के गैराग्राफ 23-9 अ) र 23-10 में आयोग बारा की गई सिफारियों इस क्रमयां क्या जापन के दिल्ला में उद्ध्त की गई है।

उपर्युक्त पेराग्राफ - में उल्लिखित अनुदेशों अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि समृह "ख", "ग" और "ध" के कर्मचारियों की संवर्गीय पुनरीक्षा करते समय निम्निलियत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया जाएगाः :--

पुनरीक्षाएं करने के लिए फीसी ग्राह्म मिला प्राह्म में स्वर्गीय पुनरीक्षाएं सवर्ग नियन्त्रण प्राध्कारी हारा की म सवर्गीय पुनरीक्षाएं करने के लिए एंसी

- जाएंगी।
- जिन संवर्गी की पुनरीक्षा की जानी है उनका नियन्त्रण करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभागीय संवर्ग पुनरीक्षा समितियो' का गठन विया जाए और उनमें िनम्निलिखित के प्रतिनिधि शामिल किए जाने वाहिए :-
  - संबंधित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय । {क्र
  - एकीकृतं वितत । 8 ख
  - संवगों के कार्मिक पहलुओं से संबधित मंत्रालय/विभाग 8्रग8 में १प्रशासन स्थापना प्रभाग हो का फिल एक क
  - १ड॰ श्र संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी (क्राव्स्थक समझा जाने वाला कोई अन्य सदस्य

मंत्रालयों, विभागों इत्यादि के मार्गदर्शन के लिए विभागीय संवर्गीय पुनरोक्षा समितियो' का गठन करने के लिए कुछेक उदाहरण इस कार्यालय जापन के संलगन अनुबन्धाः में क्यापि गए हैं :-

## संवर्ग पुनरीक्षा को शासित करने वाले सिद्धान्त

संवर्गीय पुनरीक्षा को केवल स्टाफ है सदस्यों को पदोन्नित अवसर प्रदान विष् जाने के उद्देशन से पदी को स्तरो ननत करने की एक आवासकता के रूप में समझने की बजाए प्रवेश स्तर पर की जाने वाली सालाना भर्ती, रख रखाव संबंधी आवरपवताओं तथा वृद्ध इत्यादि को ध्यान भे रखते हुए - सम्पूर्ण जन्मानित अपयोजन की प्रक्रिक वार्शन के रूप में संमद्धा पाना जाहिए।

- 3.4 संवर्ग पुनरोक्षा, बर्ग्यात्मक एवं सरवनात्मक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और ऐसा करते समय ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों और संगठन/विभाग में कार्यक्शलता में स्थार लाने की आवश्यकता की और समृचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
- उ•5 जहां वहीं भी स्टाप की व्यवस्था के लिए स्टाप निरक्षिण एक बारा पहले ही मानदण्ड/माप दण्ड निधारित कर दिए गए हैं दो उन्हें विभिन्न प्रवारिं/गेडों की संवर्गिय प्नरीक्षा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- 3.6 संवर्गीय पुनरीक्षा की कार्यवाई को संवर्ग में गतिरोध के स्तर से जोड़े बिना, समूह "स", "ग" और "व" के सभी पदी के मामले में आविध्क रूप से की जाए।
- 3.7 संवर्ध मुनशिक्षा करते समय समयबद्ध मदो नित्यों पर केवल उन्हीं आपवादिक मामलों में विवार किया जाए, जहां सम्बंधित स्टाप के सम्बद्ध वर्गों ग्रेडों के सेवा नियमों में इसकी व्यवस्था की गई हो । संवर्गीय पुनरीक्षा, संगठन की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से मेल खाती हुई होनी वाहिए।
  - 3.8 संवर्गीय पुनरीक्षा करते समय, प्रशासनिक मंत्रालय को प्रवर्गी/
    ग्रेडो' को परस्पर मिलाकर युक्तियुक्त बनाने पर विचार
    करना चाहिए, क्योंकि समय गुजारने के साथ-साथ, हो
    सकता है कि प्रत्येक सेवा के प्रवर्गों, स्तरो' तथा ग्रेडो' की
    संख्या में काफी वृद्धि हो जाए। तंग जुद्धिट-अथवा
    अविच्छिन्न विभेदन की बजाय, एक बहु विषय क्षेत्रीय
    वृष्टिकाण पर विवार किया जाए।
  - 3.9 इक्का-दुक्का प्रवगी' में जिनमें कि अगले ग्रेड पर पदो न्नित होने की सम्भावना नहीं है, वहा' इन पदों के लिए आवश्यक अहीताओं और अनुभव, कर्तव्यो' तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहचान करने का प्रयास

विद्या जाना वाहिए ताकि उन्हें विद्यमान स्वामिन स्वामिन अथवा प्रतावित पदान्तम वाले दाचे में मिलाया जाना सम्भव न हो तो इन पदी को सीधी भर्ती दारा नहीं बिल्क प्रतिनिय्कित पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना वाहिए ताकि ऐसे पदो' पर कर्मवारियों को गत्यावरोध का सम्भना न करना पड़े।

## आविध्वता

3.10 संवर्ग पुन्रीक्षा की कार्रवाई पृत्येक पांच वर्ष के बाद

कारिक और पृथिक्षण विभाग की भूगिका

3.1। समूह "स", "ग" तथा "स" संवर्ग की संवर्ग पुनरीक्षा
करने की मुख्य जिम्मेदारी संगत मंत्रालयों/विभागों में
संबंधित संवर्ग नियंक्क पुरिक्कारियों की होगी । मंत्रालयों
तथा विभागों का यह वर्लव्य होगा कि वे यह सुनिष्चित
करें कि संवर्ग पुनरीक्षा का कार्य मार्ग निर्देशनों को ध्यान
में रखकर ठीक समय पर किया जाता है । कार्मिक और
पुरिक्षण विभाग नीति निधारित करेगा, मार्गद्धि सिद्धान्त
जारी करेगा और यदि आद्धायक हुआ तो संबंधित संवर्ग
नियंक्क पुरिक्वारियों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए
संवर्ग-सुनरीक्षणों की प्रगति की समीक्षा करेगा ।

हेद प्रकाश उप्पल् विद प्रकाश उप्पल् निदेशक श्पी•पी•श

- । भारत सरकार के संभी मंत्रालय/विभाग-१मानक सूची के अञ्चार
- 2 गृह मंत्रालय/का गिंक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
- 3. सभी संध राज्य क्षेत्र की सरकार प्रशासना
- 4. सचिव, संघ जोक रेवा आयोग/भारत का नियंत्रक तथा महा-तेया परीक्षक १० अतिरिक्त प्रतियो सहित ।
- इन्पेजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय।
- 6--लोक सभर/राज्य संभा सचिवालय।
- 7. गृह मंत्रालय/कारिक लोक मिकायत तथा पेशन मंत्रालय के सभी-अधिकारी/अनुभागे।

वर्ष केन्द्रीय वेतन अधिम की निश्मीर के अध्याय 23 भी बंक "भदी नाति नीति" के पेर 1 23 • 9 तथा 23 भी बंक भवी नाति नीति के पेर 1 23 • 9 तथा

23.9 यह प्रतीत होता है कि सेलेकान गेडों के लागू किये जाने और एक स्थित वेतन वृद्धि के दिए जाने से अस्थायी सा तवना मिली है। स्थारता और अपयापित पदो न्नित अवसर की समस्या का एन यु क्तिसीत काडर संरचना और लम्बे वेतनमान हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्मचारियों को, उनके कृत्यों का पालन करने में अपना सर्वोत्तम अंगदान करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें पदो न्नित अवसर प्रदान किए जामें वाहिए । सार्थ-सार्थ संगठन की कार्य साम्मन अवस्वताओं और अपेक्षाओं के साथ सेवा में उन्नित की प्रणाली भी सिम्मिलित की जानी चाहिए। इसलिए, उन पदो नित्ति की सहिया जो एक कर्मचारी की अपने सेवा कार्यकाल में और सेवा की अविधि जो ऐसे साविधिक पदो नित्ति के लिए अहंक हो, के संबंध में किसी ठोस पार्मिल कर निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है।

23.10 — इसलिए हमारा यह मल है कि ग्रुप
"ग" और "घ" के पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड, जहां भी यह लागू हैं, को
लागू नहीं रुपा जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय सेलेक्शन ग्रेडों में कार्य
कर रहे हैं उन्हें हमारे हारा सिकारिश किए गए समृचित वेतनमानों में कार्य
करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। उन कर्मचारियों को जो अपने
वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुके हैं को राहत दिए जाने के लिए हम
शिकारिश करते हैं कि उन्हें प्रत्येक को वर्षों के पूरा करने पर उनके वेतनमानों
में एक-एक स्थिरता वेतन वृद्धि दे दी जानी चाहिए। अधिक से अधिक तीन
फेरी वेतन वृद्धियों की अनुमित दी जानी चाहिए। स्थिरता वेतन वृद्धि को
जेजना ग्रुप "ष" "ग" और "घ" और ग्रुप "क" के और सीनियर टाईम स्केल
स्तर े एभी काडरों पर लागू की जानी चाहिए। इसके साथ साथ एक
निर्धारित अविध के पश्चाद काडर का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए
नाति प्रशास में प्रवीणता को उन्हा बनाने के साथ-ताथ कर्मचारियों के
मं दे कि ग्रेगचारियों को मददेन्जर रसते हुए-ग्रेडों/पदों जिनको अपग्रेड

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के लिए संवर्ग पुनरीका, समिति का प्रस्तानित गठन

- । शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
- 2. मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।
- वित्तीय सलाहकार ।
- 4. निदेशक १प्रशासन १ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग।

स्वास्थ्य मंत्रालय में फार्मिस्टों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा समिति का प्रस्तावित गठन

- न स्वा रूप मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
- 2 वित्तीय सलाहकार।
- उ॰ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का प्रतिनिधि।
- 4. मुख्य प्रशासिनक अधिकारी; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

भारतीय सर्वेक्षण में प्रारूपकार हुना गटरामेनह के पद के लिए

- ा॰ विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव ।
  - २ वित्तीय सलाहकार/उप विल्तीय सलाहकार है एस एण्ड टी ह
  - उप महानिदेशक, भारतीय सर्वेद्याण ।
  - 4 : निदेशक त्रप सिहान १ प्रशासन

of the first and grant the figure of the